

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार- III,

प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय,

संत कबीर नगर।

आई. डी.- यू० पी० 5804

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

विषय- डिस्ट्रिक्ट बार बुलन्दशहर द्वारा कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव भेजने के पीछे का षड्यन्त्र।

माननीय महोदय,

विनम्र प्रार्थना है कि दिनांक 20-03-2021 को प्रार्थी के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन, बुलन्दशहर द्वारा भेजी गयी शिकायत झूठी तथा बनावटी है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि दिनांक 25-11-2020 (त्रुटिवश कुछ प्रार्थना पत्रों में दिनांक 15-11-2020 टाइप हो गया है) को मेरे न्यायालय में कार्यरत विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा अवकाश पर थे। विशेष वाद संख्या 3717/2018 राज्य बनाम विकास, अंतर्गत धारा 376 डी भा.द.स. व पाक्सो अधिनियम थाना अरनिया, जिला- बुलन्दशहर के मामले में विवेचक श्री डी.पी. सिंह साक्ष्य हेतु जिला मेरठ से उपस्थित आये थे। श्री नवनीत कुमार शर्मा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) (आगे विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) से सम्बोधित किया जायेगा)। उक्त विवेचक का बयान अकित करा रहे थे। समय लगभग दो बजकर दस मिनट पर श्री राहुल उपाध्याय विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) (आगे विद्वान डी.जी.सी. (क्रि.) से सम्बोधित किया जायेगा)। मेरे न्यायालय में आये तथा मेरे समक्ष ही श्री नवनीत कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) से कहने लगे कि श्री सुनील कुमार शर्मा विद्वान विशेष लोक अभियोजक व श्री नवनीत कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी.सी. (क्रि.) के बहुत दिमाम खराब हो गये हैं तथा श्री नवनीत कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) न्यायालय में कैसे आ गये तब श्री नवनीत कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) ने कहा कि वह विवेचक का मुख्य परीक्षण करा रहे हैं तब श्री राहुल उपाध्याय विद्वान डी.जी.सी. (क्रि.) द्वारा न्यायालय के समक्ष गाली देते हुए श्री नवनीत कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) की गर्दन पकड़कर न्यायालय कक्ष से बाहर यह कहते हुए ले गये कि क्या श्री नवनीत कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) ने अभियाजन व जज साहब का ठंका ले रखा है तभी खीचा तानी मे वह पत्रावली जिम्मे दबान आकेत किया जा रहा था नीच गिर गई। उक्त दोनों लोग गुत्थम-गुत्था हो गये तथा लडते हुए न्यायालय के बरामदे में चले गये पुनः न्यायालय के बरामदे से आपस में लडते व मारपीट करते हुए न्यायालय में आये तथा दोनों लोग न्यायालय में ही गिर गये। न्यायालय में मौजूद व्यक्तियों ने उक्त दोनों को छुड़ाया।

उक्त प्रकरण की सूचना तुरंत मेरे द्वारा विद्वान जिला जज बुलन्दशहर को भेजी गई।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में श्री नवनीत शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 03-12-2020 को अंतर्गत धारा 340 द.प्र.स. मेरे न्यायालय में दिया गया। जो बतौर फौजदारी विविध वाद संख्या 336/2020 श्री नवनीत कुमार शर्मा बनाम श्री राहुल उपाध्याय के रूप में दर्ज हुआ। विपक्षी से आख्या प्राप्त की गई तथा घटना के समय उपस्थित साक्षियों के बयान अकित किये गये। धारा 340 द.प्र.स. के

अंतर्गत जाच पूर्ण होने के उपरांत यह पाया गया कि उक्त प्रकरण में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर के न्यायालय में परिवाद योजित किया जाय। (संलग्नक- 2)

परिवाद तैयार किया गया (संलग्नक- 3) तथा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर के न्यायालय में भेजा गया।

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा भेजे गये उक्त परिवाद पर दिनांक 18-01-2021 को मामले का सज्जान लिया गया तथा श्री राहुल उपाध्याय विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) बुलन्दशहर को जरिये समन तलब किया। परिवाद बतौर फौजदारी वाद संख्या 593/2021 राज्य बनाम राहुल उपाध्याय, अतर्गत दारा 323,504,228 भ.द.स., थाना कोतवाली, जिला- बुलन्दशहर के रूप में दर्ज हुआ। (संलग्नक-4)

मेरे द्वारा दिनांक 28-01-2021 को बतौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं 01 बुलन्दशहर का कार्यभार ग्रहण किया गया। मेरे न्यायालय में श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा बतौर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) तैनात थे। इनके द्वारा कई पत्रावलियों में इस प्रकार से बयान अंकित कराये गये जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे अभियुक्तगण को जानबूझकर लाभ पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सत्र विचारण संख्या 308/2013 अ० सं 66/2012 राज्य बनाम कुलदीप धारा 302 भा.द.स., थाना- सिकन्दाबाद, जिला- बुलन्दशहर के मामले में मृतक अजब सिंह था उसके साथ मृतक आशे का पंचायतनामा भी साबित कराया गया परंतु प्रदर्श क-9 आशे के पंचायतनामा पर न डालकर अजब सिंह के पंचायतनामा पर डाला गया। इसी प्रकार सत्र विचारण संख्या 309/2013, अ० सं 66 ए/2013 राज्य बनाम पवन आदि धारा 302 भा. द. स., थाना- सिकन्दाबाद, जिला- बुलन्दशहर के मामले में मृतक अजब सिंह का पंचायतनामा साबित कराया गया जबकि मृतक आशे से सबैधित दस्तावेजों को साबित कराया जाना चाहिए था। जब इस संबंध में श्री रविन्द्र कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) से कहा गया तो वे नाराज हो गये।

यह कि दिनांक 19-03-2021 से कुछ दिन पूर्व श्री रविन्द्र कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) के द्वारा मुझे यह अवगत कराया गया था कि उनका नवीनीकरण राज्य सरकार उ० प्र० द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कुछ दिन बाद आदेश आ जायेगा। चूंकि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) श्री राहुल उपाध्याय विद्वान डी.जी. सी (क्रि.) के अधीन कार्यरत थे तथा उनके मित्र भी हैं। इनके द्वारा षड्यन्त्र रचा गया कि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) मुझ पर झूठे आरोप लगाते हुए झूठा एवं बनावटी त्याग पत्र लिखे। उसी क्रम में दिनांक 19-03-2021 को श्री रविन्द्र कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) द्वारा पूर्व सोचे समझे षड्यन्त्र के तहत एक झूठा एवं बनावटी त्यागपत्र विद्वान जिला अधिकारी, बुलन्दशहर को सम्बोधित करते हुए लिखा गया। जिसकी प्रति विद्वान जिला न्यायाधीश को प्रेषित की गई जिसपर मुझसे आख्या मांगी गयी मेरे द्वारा भेजी गई आख्या संलग्नक सं०-५ है। दिनांक 19-03-2021 को ही कुछ मीडिया के पत्रकारों को (जिन्हें कुछ दिन पहले ही सूचित कर दिया गया था) बुलाकर श्री राहुल उपाध्याय विद्वान डी.जी. सी (क्रि.) व श्री रविन्द्र कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) के द्वारा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०), बुलन्दशहर के कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। जिसमें त्यागपत्र देने के संबंध में मीडिया को न्यायालय की बुराई करते हुए बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि उक्त नाटकीय त्यागपत्र को विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के पास स्वीकार करने हेतु भेजा ही नहीं गया। प्रश्नगत त्याग पत्र एक नाटक था, वह इस तथ्य से भी साबित है कि त्यागपत्र देने के बाद भी दिनांक 20-03-2021 को विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा को एक अन्य विद्वान न्यायालय में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। (संलग्नक- 6)। इस प्रकार एक पूर्व सोची समझी योजना के तहत उक्त षड्यन्त्र का किया जाना साबित है।

इसी क्रम में दिनांक 20-03-2021 को श्री राहुल उपाध्याय विद्वान डी.जी. सी (क्रि.) व श्री रविन्द्र कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) के द्वारा विद्वान अध्यक्ष व विद्वान महासचिव, सम्मानित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन, बुलन्दशहर को सम्बोधित करते हुए एक पत्र लिखा गया जिसमें श्री रविन्द्र कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) के द्वारा त्याग पत्र देने को बढ़ा-चढ़ाकर उल्लेख करते हुए पत्र को अत्यधिक भावुक बनाया गया और निन्दा प्रस्ताव व न्यायालय के बहिष्कार का अनुरोध किया गया। जिस पर श्री राहुल उपाध्याय विद्वान डी.जी. सी (क्रि.) व श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा विद्वान ए.डी.जी. सी (क्रि.) के मित्र मन्डली के विद्वान अधिवक्तागण के हस्ताक्षर कराये गये तथा उसे सम्मानित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन, बुलन्दशहर को दिया गया। सम्मानित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन, बुलन्दशहर ने बिना भीटिंग बुलाये बिना वास्तविकता को जाने समझे जल्दबाजी में उक्त षड्यन्त्र के तहत विद्वान जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर को पत्र लिखा जिसमें यह उल्लेख किया कि दिनांक 22-03-2021 को दोनों सम्मानित बार बुलन्दशहर के विद्वान अधिवक्तागण कार्य से विरत रहेंगे। जिस पर मुझसे आख्या मांगी गयी। मेरे द्वारा भेजी गयी आख्या संलग्नक- 7 है परंतु दिनांक 22-03-2021 को जिला बुलन्दशहर के विद्वान अधिवक्तागण कार्य से विरत नहीं रहे क्योंकि अन्य कई विद्वान अधिवक्तागण ने कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव का घोर विरोध किया इस कारण सभी विद्वान न्यायालयों में कार्य हुआ। सम्मानित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन का कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव दिनांकित 20-03-2021 बुलन्दशहर के विद्वान न्यायाधीशगण के मध्य परिचालित भी नहीं किया गया था।

इसी सदर्भ में जनपद बुलन्दशहर के सम्मानित एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश दीक्षित ने दिनांक 25-03-2021 को विद्वान जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर के समक्ष एक पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि जनपद बुलन्दशहर में कार्यरत दोनों सम्मानित बार एसोसियेशन के चार पदाधिकारियों द्वारा विद्वान जनपद न्यायाधीश बुलन्दशहर को दिनांक 22-03-2021 को कार्य से विरत रहने का भेजा गया प्रस्ताव विधि विरुद्ध एवं गलत था। (संलग्नक- 8.9.10 व 11)

इस प्रकार श्री राहुल उपाध्याय विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) बुलन्दशहर के विरुद्ध मेरे द्वारा धारा 340 द.प्र.स. की जांच करने के उपरान्त परिवाद दाखिल करने के कारण उसी रजिश के तहत षड्यन्त्र रचते हुए जिला बुलन्दशहर की दोनों सम्मानित बार एसोसियेशन के अध्यक्ष व महासचिव से मिलकर श्री रविन्द्र कुमार शर्मा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा नाटकीय रूप से दिये गये त्यागपत्र का भावनात्मक प्रयोग करके दोनों सम्मानित बार एसोसियेशन के चार पदाधिकारियों से एक दिन के कार्य बहिष्कार का झूठा, बदले की भावना से मनगढ़न्त व बनावटी प्रस्ताव विद्वान जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की महती कृपा करें।

दिनांक- 27-08-2021

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार- III)

प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय,

संत कबीर नगर।